(५७)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

समक्ष : **मनोज गोयल**

अध्यक्ष

प्रकरण क्रमांक निगरानी 1765-पीबीआर/12 विरूद्ध आदेश दिनांक 8-6-12 पारित द्वारा अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर प्रकरण क्रमांक 27/निगरानी/2011-12.

देवेन्द्र खण्डेलवाल पिता स्व. हजारीलाल खण्डेलवाल (मृतक)
द्वारा वारिसान-

1- श्रीमती सुशील पत्नी देवेन्द्र खण्डेलवाल
2- श्रीराम खण्डेलवाल पुत्र देवेन्द्र खण्डेलवाल
निवासीगण 1, अग्रवाल नगर, पुरानी भूमि
पूजादीप अपार्टमेंट, फ्लेट नम्बर 101, इन्दौर .....आवेदकगण

विरूद्ध

1- लालचन्द पिता कन्हैयालाल हार्डिया
2- सीताबाई पति कन्हैयालाल (मृत)
बजाय श्रीमती अनुराधा हार्डिया
पति स्व. मुकेश हार्डिया
निवासीगण 66, हीरा नगर, सुखलिया, इन्दौर
3- तहसीलदार, तहसील इन्दौर
प्रशासकीय संकुल, मोती तबेला, इन्दौर
4- राजेश सर्वटे, राजस्व निरीक्षक
तहसील कार्यालय प्रशासकीय संकुल
मोती तबेला, इन्दौर
5- किताबुद्दीन शेल, राजस्व निरीक्षक
तहसील कार्यालय प्रशासकीय संकुल
मोती तबेला, इन्दौर
नन्हूलाल पुत्र लक्ष्मण .....अनावेदकगण

श्री ओ.पी. शर्मा, अभिभाषक आवेदकगण
श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 1 व 2
श्री अजय चतुर्वेदी, अभिभाषक, अनावेदक क्रमांक 3 से 5

:: आ दे श ::

(आज दिनांक 6/12/18 को पारित)

आवेदकगण द्वारा यह निगरानी म.प्र. भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे संक्षेप में संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत अपर कलेक्टर, जिला इन्दौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 8-6-2012 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं कि आवेदकगण के पूर्वाधिकारी मृतक देवेन्द्र खण्डेलवाल द्वारा तहसीलदार, इन्दौर के प्रकरण क्रमांक 7/अ-70/08-09 में पारित आदेश दिनांक 28-8-2009 के विरूद्ध अपर कलेक्टर, इन्दौर के समक्ष दिनांक 24-8-2011 को लगभग दो वर्ष विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गई । अपर कलेक्टर द्वारा प्रकरण क्रमांक 27/निगरानी/2011-12 में दिनांक 8-6-2012 को आदेश पारित कर निगरानी समयावधि बाह्य होने से निरस्त किया गया । अपर कलेक्टर के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर कलेक्टर द्वारा इस मूलभूत सिद्धांत को समझने में भूल की गई है कि स्टेटस स्वत्व या आधिपत्य के संबंध में व्यवहार न्यायालय में कार्यवाही पृथक एवं राजस्व न्यायालयों में पृथक-पृथक तरह से नहीं हो सकता । प्रश्नाधीन भूमि के संबंध में व्यवहार न्यायालय में मुकदमेंबाजी कर रहे वादी एवं प्रतिवादी सभी राजस्व न्यायालय में आवश्यक पक्षकार हैं । यह भी कहा गया कि अपर कलेक्टर द्वारा तहसील न्यायालय का बिना अभिलेख बुलाये सतही तौर पर निगरानी निरस्त करने में क्षेत्राधिकार आदेश पारित किया है । तर्क में यह भी कहा गया कि आवेदकगण को निगरानी प्रस्तुत करने का अधिकार है या नहीं, इस बिन्दु पर आवेदकगण को पक्ष समर्थन का बिना अवसर दिये आदेश पारित करने में अपर कलेक्टर द्वारा अवैधानिकता की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा तहसीलदार के अवैधानिक आदेश के विरूद्ध निगरानी प्रस्तुत की गई थी, जिस पर अपर कलेक्टर को तहसील न्यायालय के आदेश की वैधता अथवा अवैधता के संबंध में विचार कर निर्णय लेना चाहिए था, किन्तु उनके द्वारा समय-सीमा जैसे तकनीकी आधारों पर आदेश पारित करने में विधिक भूल की गई है, जबकि प्रकरण का निराकरण समय-सीमा जैसे तकनीकी आधारों पर नहीं किया जाकर, गुण-दोष के आधार पर करना चाहिए ताकि पक्षकारों को वास्तविक न्याय प्राप्त हो सके ।

उनके द्वारा अपर कलेक्टर का आदेश निरस्त कर निगरानी स्वीकार करने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदक क्रमांक 1 व 2 के विद्वान अभिभाषक द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष विलम्ब से निगरानी प्रस्तुत की गई थी, अत: अपर कलेक्टर द्वारा आवेदकगण की ओर से प्रस्तुत निगरानी समय बाह्य होने से निरस्त करने में कोई भूल नहीं की गई है । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि प्रश्नाधीन भूमि पर आवेदकगण के हित किस प्रकार प्रभावित हो रहे हैं, यह उनके द्वारा प्रमाणित नहीं किया जा सका है ।

उनके द्वारा अपर कलेक्टर का आदेश यथावत रखते हुए निगरानी निरस्त करने का अनुरोध किया गया ।

5/ अनावेदक क्रमांक 3 से 5 की ओर से शासकीय विद्वान अभिभाषक द्वारा अभिलेख के आधार पर प्रकरण का निराकरण करने का अनुरोध करते हुए मुख्य रूप से यही तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर कलेक्टर का आदेश उचित होने से उसमें हस्तक्षेप की कोई आवश्यकता नहीं ।

5/ उभय पक्ष के विद्वान अभिभाषक द्वारा प्रस्तुत तर्कों के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया । तहसील न्यायालय के आदेश दिनांक 28-8-2009 जिसके विरूद्ध आवेदकगण के पूर्वाधिकारी स्व. देवेन्द्र खण्डेलवाल द्वारा अपर कलेक्टर के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की गई थी, के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त अंतरिम आदेश को ही तहसील न्यायालय ने अंतिम आदेश मानकर प्रकरण समाप्त करने के भी आदेश दिये हैं । ऐसी स्थिति में तहसील न्यायालय का आदेश अंतिम आदेश की श्रेणी में आकर अपील योग्य आदेश है तथा उसके विरूद्ध निगरानी प्रचलनशील ही नहीं थी । अत: निगरानी की निगरानी भी मूल निगरानी ही प्रचलनशील नहीं होने से सुनवाई योग्य नहीं होने से निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश
ग्वालियर